

CERTIFICATE OF REGISTRATION  
SOCIETIES REGISTRATION ACT XXI OF 1860

No. 823365 of 1992.

I hereby certify that "महाराष्ट्र अजमोद (स्वापकार) -  
विकास संघ".....प्रिया....."

has been registered under the SOCIETIES REGISTRATION ACT OF 1860.

GIVEN UNDER MY HAND AT DELHI on this .....18<sup>th</sup>..... day of  
September....., one thousand nine hundred and  
ninety two.

Registration Fee of  
Rs. 50/- received.

Seal  
Registrar of Societies  
Delhi



Registrar of Societies

Delhi Administration

Delhi

THIS DOCUMENT IS A COPY OF ITS  
PLEASE QUOTE THIS NUMBER IN ALL YOUR FUTURE CORRESPONDENCE, filed with the  
REGISTRAR OF SOCIETIES DELHI  
for without Certifying  
verifying its contents. It is issued  
under RTI Act/Court Orders.

CERTIFIED TO BE TRUE COPY  
Registrar of Societies

REGISTRAR OF SOCIETIES DELHI  
RECEIVED

( ३३१ )

### संस्कारित ग्रन्थालय

१. श्रेष्ठ नाम पाप :- माहाराजा अवधीन (सार्वज्ञ) निवास श्री, दिल्ली/लखनऊ ।
२. श्रेष्ठ नाम परिवार नामांकिति :- श्रेष्ठ नाम परिवार अवधीन श्रीमत गुप्त, दिल्ली ने दो छोटा, बड़े दो बड़े बच्चे परो परो :- २५, वैद्य गृह अंडा नगर, नगरी नं-११, दिल्ली-११२००२।
३. श्रेष्ठ नाम जन्मानुष :- शाश्वती दिल्ली राज्य।
४. श्रेष्ठ के उपर्युक्त परिवार की बच्चों को नेतृत्व, नामांकित, जारी करने का वार्ता दिल्ली राज्यालय संघालित रूप से बांद्रावाला इलाया का प्रयाप करता ।
५. रामाज के आनंद पृथक अंडाय विष्टारों व बच्चों के परण-नोचन एवं उनकी रिदा-दीदा का उचित प्रबन्ध करने का प्रयाप करता श्राप्ता प्रतिभासाली वर्षों को जारीक रहायता, दाक्षत्य वादि देकर प्रोत्साहित करता ।
६. रामाज हितार्थ एवं पिछड़े वर्ग के रामाजिक उत्पान के लिए बहुदेशीय समुदाय कार्यस्थानों का संचाल करता जिनके वन्तर्व निम्नलिखित कार्यस्थानों को कार्यन्वित करता :--

(क) शिक्षा संस्थाएं, पुस्तकालय, धर्मी चिकित्सालय के स्थापना

एवं अंगाला बाड़ि का प्रबन्ध करता ।

(ल) रामाज ऐश्विक रूप से पिछड़े वर्ग के दस्तावेज़ के लिए उपर्युक्त विभिन्न वर्तिकाएँ जारी करने के लिए शिक्षा पद्धति के असार(के असार) रिटायर्ड एवं अधिकारी एवं अधिकारी के लिए जानकारी देता ।

This document is true copy of the  
Original/Copy filed with the  
District Court's Office, during Certifying  
process, regarding its contents. It is issued  
under Shiksha Padhiati ke Asasara (के असार) Act/Court Orders.

Government of Societies

८४

( २ )

- (ग)* नियमित संचालन के लिए समिति  
कार्यपाली की संस्था होता ।
- (घ)* सामाजिक छूटतियों के उच्चल के लिए प्रयास करता।
- (ङ)* राष्ट्रीय विवाहों का जायोजन कर समाज के बमजौर वर्ग  
को देश से उक्ता करता ।

७. इस संस्था की बाय केवल संस्था के उद्देश्यों के लिए ही व्यय  
की जायेगी । ११ समिति की चल या अवल संपत्ति से प्राप्त ज्ञारी  
बाय, क्नाई बन्तनियों से उल्लिखित समिति के उद्देश्य तथा लक्ष्यों  
की प्राप्ति के लिए सुरुषकां प्रयोग की जायेगी तथा लाई जायेगी-  
तथा इसका कोई भी लाभ समिति के वर्तमान या निवर्त्मान सदस्यों  
के या वर्तमान निवर्त्मान सदस्यों के पाव्यम से दावा करने  
वाले किसी भी वक या गांधीक व्यक्तियों को खुगतान नहीं किया  
जायेगा या लाभ प्राप्ति को रोगा या किसी प्रकार से समिति  
का कोई भी सदस्य समिति की किसी प्रकार की भल या अवल  
संपत्ति पर कोई दावा नहीं करेगा या इसकी सदस्यता के बाधार  
पर किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं करेगा ।

४

This document is true copy of its  
Original/Copy filed with the  
Registrar without Certifying/  
verifying its contents. It is issued  
under R.S.I Act/Court Orders.

Registrar of Societies

23

10. संघ राज्य थेट्र दिल्ली के गणप्रभारी समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 2। (पंजाब  
राज्योंपित अधिनियम की धारा 2) के अधीन तथा अपेक्षित कार्यकारिणी के सदस्यों जिनको संघ  
व्यवस्था कार्य सीमा गए हैं।

क्र. सं नाम ~~१३३३ पता  
१३३३ टेंगल राष्ट्रों पद्धति (जाइनल) ५५~~ पद  
1. श्री बालकिशन आद्यपिया ~~टुम्हा-एल-११३/८, जगतराम~~ व्यापार प्रधान

~~मालीन, लक्ष्मीनगर, दिल्ली-९२~~  
~~देल्ही-२२४७७६५~~

2. चन्द्रप्रकाश वर्मा 239, वेस्ट ब्रुस्ट्री नगर नौकरी महामंत्री  
गली नं ० ११, दिल्ली-९२

3. सुरेन्द्र कुमार वर्मा एफ-१४४ मैन बाजार व्यापार कोषाध्यक्ष  
लक्ष्मी नगर, दिल्ली-९२

4. किशन चन्द्र वर्मा एस-६५, सुन्दर ब्लाक सेवानिवृत्त प्रचार एवं  
शकरपुर दिल्ली-९२ संगठनमंत्री

5. देवेन्द्र वर्मा ~~८२८, गली नं ० ५,~~ नौकरी सहमंत्री

6. विनोद कुमार सनपेड़िया ~~डी-५२८, गली विहार~~ व्यापार

7. विनोद कुमार वर्मा जे-एक्स ३/७४, लक्ष्मीनगर व्यापार क्षेत्रीय संगठनमंत्री  
दिल्ली-९२

8. हंस राज वर्मा एस-११२८, सुन्दर ब्लाक, नौकरी कार्यकारिणी सदस्य  
दिल्ली-११००९२

9. परसराम तोसावड़ी १/५९६, वेस्ट ब्रुस्ट्री नगर, दिल्ली-९२ *This document is true copy of its  
Original/Copy filed with the  
Registrar without Certifying  
verifying its contents It is issued  
under RSY Act/Court Orders.*

10. ओम प्रकाश वर्मा एम-२३, जगतराम पार्क लक्ष्मी नगर, दिल्ली-९२

11. शीतल प्रसाद सिंह डी-१८, गली नं ० । लक्ष्मी नगर, दिल्ली-९२

*Registrar of Societies*

*20/10/2015*

१८ अधिकारी संस्था के जापन का अनुसरण करते हुए संघ राज्य निवारे में  
यथाप्रभावी समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 की घारा 21 || पंजाब संशोधित अधिनियम 1857  
की घारा 21 || के अधीन 'भाषाहजा अजमीद [स्वर्णकार] विकास संघ' के नाम से संस्था की  
स्थापना के इच्छुक हैं :-

क्र.सं	नाम	पता 1333, नंगराइशोपाइडोडल्टन १५५ प्रधान मालाट, लक्ष्मीनगर, दिल्ली-९२ देली. २२४७६५	हस्ताक्षर <i>Balakishan</i>
१.	श्री बालकिशन अधूपिया	टून-एल-११३/८, जगतराम	महामंत्री <i>M. K. M.</i>
२.	चन्द्रप्रकाश वर्मा	२३९, वैस्ट गुरुबंगद नगर गली नं० ११, दिल्ली-९२	कोषाध्यक्ष <i>Swaranand Kumar</i>
३.	सुरेन्द्र कुमार वर्मा	एफ-१४४ बैन. बाजार लक्ष्मी नगर, दिल्ली-९२	प्रचार एवं संगठनमंत्री <i>S. P. S. - १०५</i>
४.	किशन चन्द वर्मा	एस-६५, सुन्दर ब्लाक शाकरपुर दिल्ली-९२	सहमंत्री <i>S. C. - ५</i>
५.	देवेन्द्र वर्मा	जे-८१८, गली नं० ५, लक्ष्मीनगर, दिल्ली-९२	<i>V. M. - ५</i>
६.	विनोद कुमार सनपांडिया	डी-१२, प्रीति नगर दिल्ली-९२	क्षेत्रीय संगठनमंत्री <i>D. I. - १२</i>
७.	विनोद कुमार वर्मा	जे-एक्स ३/७४, लक्ष्मीनगर दिल्ली-९२	कार्यकारिणी सदस्य <i>H. R. V. - १२</i>
८.	हंस राज वर्मा	एस-११२ए, सुन्दर ब्लाक, दिल्ली-१०९२	<i>Original copy of its Registration filed with the Registrar without Certifying under R.S. Act/Court Orders जारी किया गया।</i>
९.	परसराम तोसावड़	लक्ष्मी नगर, दिल्ली-९२	<i>J. A. R. - १२</i>
	ओम प्रकाश वर्मा	लक्ष्मी नगर, दिल्ली-९२	<i>O. P. - १२</i>
११.	शीतल प्रसाद सिंह	डी-१८, गली नं० १ लक्ष्मी नगर, दिल्ली-९२	<i>S. P. S. - १२</i>

महाराजा लक्ष्मीनाथ (स्वर्णकार) विकास लाल  
२३४, देस्ट मुख्यमंदिर नगर, गढ़ी नं० ११, दिल्ली-११००६२.

को

विवाहली

१. जदस्यता :- रामाय का कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली निवासी  
हो तथा व्यस्त हो और ऐस्थां के नियमों में उद्देश्यों  
में व्यास्ता रहा हो, वह इस रामा की जदस्यता ग्रहण  
कर रहता है। यदि रामिति किसी व्यक्ति को जदस्य बनाने से  
अन्कार करें तो उसकी सूचना भी की जाए।

जदस्यता शुल्क :- जदस्यता ग्रहण करने के लिए ५) रमये प्रवेश  
शुल्क व ५)- रमये प्रवेश चाला प्रत्येक जदस्य के लिये अनिवार्य  
होगा, और ३) माछ चाला चाल वार में देना होगा।

नोट:- जदस्यता शुल्क रव चन्द्रा जप्य-समय पर जान रमा की अनुमति  
से प्रतिवर्तित किया जाए सकता है।

२. उनाय पद्धति :- ज्ञायेकारिणी के जास्ती का हुआ वाम रामा  
में होगा ताज राम राम में जितकी उपस्थिति हुए जदस्यों का  
५० प्रतिशत छोना वावस्यक होगा।

क) जाम रमा में प्रवान, नहामंत्री, कोषा ध्यात्रा तथा प्रचारमंत्री,  
संष्ठन मंत्री, सह-मंत्री, द्वोत्रीय संगठन मंत्री व कार्यकारिणी सदस्यों  
का चुनाव होगा।

ल) अधिकारिक स्म से कोई भी जदस्य जिल्हा प्रभारी/Copy, filed with the  
चन्द्रा वा गया हो वह उपरोक्त चारों पर्यायिक विवाह सर्विका  
के लिये उम्मीदवार हो सकता है।

ग) पद के चुनाव के लिए उपरोक्त चारों उम्मीदवारों को ५/४  
(पाँच) सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा जिसी वाली उस  
पद का धार्यकार हो सकता है। उनाय विवाह सर्विका

पंजीकृत जरूरतों को ही नोट देने वा अधिकार होगा ।

(८) हुनाव कार्य:- बाम सभा के हुनाव के लिए याचिकार प्रणाली बाम सभा रे एक निष्पादा हुनाव अधिकारी जिस पर बाम द्वारा की जाति हो, को नामीत करेंगे/बिरागी भेजेंगे और ये हुनाव कार्य याचिकारिता द्वारा या ब्रत्यापा नोटिंग द्वारा जापन होगा । प्रणाली बाम सभा के हुनाव अधिकारी की वज्र करेंगे । हुनाव अधिकारी अपने पत का प्रयोग भैल चान जान देने पर ही गर्वेंगे, जिसका निश्चय अंतिम तमा मान्य होगा ।

पंजीकृत जरूरत:- वह व्यक्ति जिसका एक वर्ष का पूरा चन्दा जना होगा ।

३. बाम सभा के कार्य:-

उभिति के समस्त कुलस्यों को एकत्रित करके बाम सभा बैठक का गठन किया जानेगा ।

(क) कार्यकारिणी को उपरोक्त पदों के लिए हुनाव करना ।

(ख) कार्यकारिणी को संघ के विकास कार्य हेतु उचित बादेश व जापन देना ।

(ग) वार्षिक स्पोर्ट व बाय-व्य बजट कार्यकारिणी के अनुमोदन के बाद बाम सभा में पास करना ।

(घ) बाम सभा के उभी सदस्यों को यह अधिकार होगा कि वह कार्यकारिणी के सदस्यों से उनको कार्य का व्यौरा गाँग और उसकी बाम द्वारा की टिप्पणी के लिए रखे ।

(ङ) बाम द्वारा अपने हुए प्रतिनिधियों द्वारा इसके बाहरी अधिकार होगा, यदि "उचित अधिकारों के लिए उत्तम अधिकार" अनुचित हो । बाम सभा की बैठक में २/३ सदस्यों से गणपूर्ति घोषित की जाएगी ।

१५ दिन पूर्वी उभी सदस्यों को बीं जायेगा ।

This document is copy of the  
Original/Copy filed with the  
Registrar without Certifying/  
Certifying its correctness. It is issued  
under the Registration Act/Court Orders.

व) कार्यकारिणी जो अधिकार नहीं वह संसद के विधान में  
रिहित उद्देश्यों की पूर्ति का लागत्वगत ऐसु उन्मत्ति के बहु व  
लबल उन्मत्ति के छया, इन व पटटे का कार्य कर सकती है; और  
बल उन्मत्ति के विषय जो कार्य कर सकती है ।

प) यदि कार्यकारिणी का कोई अपर्याप्त बफी इच्छा जो कोई कार्य  
संसद के नाम से होई अुचित कार्य करता है तो कार्यकारिणी उस  
व्यक्ति से पूछताछ का पश्चिमान ताकी है, तथा उसके विरुद्ध उन्मत्ति  
करना उनका सज्जनी है ।

इ) कार्यकारिणी जो का कार्यकाल एक वर्ष लोगा (अग्रिम से बार्न) ।

ज) संसद का कोई भी विवादास्त्र भागला स्थानीय व्यावाय (पिस्टी)  
में ही हो सकेगा ।

५. जाय के जाक्त :- संसद का साधन मुख्यतः उपस्थिता  
मूल्क, अद्वान, चन्द्रे द्वारा ही होगा। समिति की उपस्थित जाय उत्तों  
उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रयोग किया जायेगा ।

६. कोष :- जमा का स्पष्टी दिती राष्ट्रीय कृता धैर्य में जमा के  
नाम से ही जमा रहेगा। धैर्य के ५००)रु० (पाँच सौ रुपये) तक निकालने  
के लिये कोषाध्यक्ष के वित्तिरिपत प्रधान के हस्ताक्षार होने जावश्यक  
है तथा हस्ते विधिक रूप निकालने के लिये कोषाध्यक्ष, प्रधान एवं  
महामंत्री तीनों के हस्ताक्षार होने अनिवार्य होंगे ।

#### कार्यकारिणी जा स्वरूप

This document is true copy of its  
Original Copy filed with the  
Registrar without Certifying/  
verifying its contents. It is issued  
under RTI Act/Court Order.

७. १) प्रधान --- १/---  
२) महामंत्री --- १/---  
३) सहमंत्री --- २/---  
४) प्रधार एवं संगठन मंत्री - १/---  
५) कार्यकारिणी सचिव --- १/---  
६) कार्यकारिणी सचिव --- १/---

Registration No. 50

## ८. गार्डकारिणी के जनरल्स के अधिकार :-

- स- प्रधान :- साम के अधिकारी फला तथा महामंत्री को परामर्श देता हैं कार्यकारिणी की तथा को पुगारु वा चलाना बौद्धि उत्तम नियंत्रित करता ।
- त- आवश्यकता पड़ने पर जपने इच्छा से जनरल्स के कार्यों के लिये २५०)७८ तक सर्व करो का अधिकार होना जिसका अनुमोदन बाप में कार्यकारिणी की बैठक में करता आवश्यक होगा ।

## ९. महामंत्री:-

- क) साम तथा गार्डकारिणी की बैठक द्वलाना तथा गार्डकारिणी जनरल्स को ननोनित करो के लिये प्रधान की उलालदगा । साम की कार्यवाही लिखा नियमी जो कार्यान्वयन करना । प्रधान करता जौखभा के हर कार्य को पुगारु वा चलाना बाढ़ि ।
- ज) वार्षिक रिपोर्ट बौद्धि वाय-वयस्क का वार्षिक हिसाब कार्यकारिणी तथा अम सभा के सामने प्रस्तुत करना ।

- ग) महामंत्री को एक सप्त से सप्त के कार्यों के लिये २००)५० तक निजी राय से तथा ५००)८० तक वायका की अनुमति से सर्व करो का अधिकार होगा । इसके अधिक फैलिस कार्यकारिणी की पूर्व जन्मति बावश्यक होगी ।

१०. रहमंत्री/अधिकारी:- महामंत्री के कार्यों में खायता जूता और महामंत्री की अनुपस्थिति में उनके कार्यों की देखभाल करना ।

## ११. प्रचार एवं संगठन मंत्री:-

प्रधान एवं महामंत्री की जन्मति से संगठन का कार्य बरना और उचित वा अनुमति की संगठन समिति with the Registrar without Certifying/ को बढ़ाना । अध्यका अपना महामंत्री अनुप सुध की कार्य हुतु जावश्यक दौरों के कार्यक्रम बनाना । under RTI Act/Court Orders.

## १२. दौत्रीय संगठन मंत्री:-

अपने अपने गार्डकारिणी में महोर संगठन संस्थान संस्थानी में सहायता करना । जो बैठकों का बायोजन व अन्य प्रचार

त्याग-पत्र :-

कार्यकारिणी उभिति का कोई भी तदस्य अवावदापिता होने की कारणवश त्याग-पत्र के संकेत है। परन्तु त्याग पत्र स्वीकृत होने तक पुराने सदस्यों को अपना वायित्व संभाला होगा। कार्यकारिणी द्वारा त्याग पत्र रखीकृत होने के पश्चात् कार्यकारिणी उभिति को यह अधिकार होगा कि उन रिक्त स्थानों के लिए यदि उनकी संख्या तीन तक हो तो, जापन होने वाले वर्षे तक के लिए सदस्यों की मनोनीत करें।

पत्रिका :-

यदि किसी समाज शापन पत्र ऐ पत्रिका के लिए आवश्यक की बैठक में उपस्थित सदस्यों की २/३ संख्या को उपराहा होना चाहिए तो आवश्यक होगा। आम समा की बैठक दो होनी चाही द्वितीय पूर्व नाटिस बैठक आवश्यक होगा। तभी संघोषन प्रभावी संस्था के कारण अधिनियम १८६० धारा १२ और १२-ए के अनुसार होगा।

संस्था प्रतिष्ठानी पंजीकरण कायालिय को प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम १८६० धारा ४ के अनुसार कार्यकारिणी के सदस्यों को छोची भेजा करेगी। संस्था पर या संस्था के द्वारा

जारी  
This document is the copy of its  
Original/Copy filed with the  
Registrar without Certifying/  
Verifying its contents. It is issued  
under RTI Act/Court Orders.

M  
Registrar of Societies

किसी भी न्यायिक मामलों को यथाप्रभावी पंजीकरण अधिनियम 1860 धारा 6 के अनुसार प्रधानमंत्री देखेगे। यदि संस्था का निपटन करना कभी आवश्यक हुआ तो वह यथाप्रभावी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 13 व 14 के अनुसार ही हो सकेगा। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 21 (पंजाब संशोधन अधिनियम 1957) के समस्त उपबन्ध इस समिति पर लागू होंगे। महाराजा अजमीर [स्वर्णकार] विकास संघ, दिल्ली की कार्यकारिणी समिति के हम निम्नलिखित सदस्य प्रमाणित करते हैं कि यह समिति के नियम व उपनियम की सत्य प्रतिलिपि है।

क्र.सं.

नाम

1. श्री चाल किशन अधूपिया

पंजाब संतराण प्राविधिक दिल्ली इस्ताबर  
एल-113/8, जगतगढ़म प्रधान  
लखनऊ नगर, दिल्ली-92  
10-3-1972

2.

श्री चन्द्रप्रकाश वर्मा

वस्ट लखनऊ नगर  
गोलन 11, दिल्ली-92.

महामंत्री

3.

श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा

पंजाब बैन बाजार  
लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92.

कोषाध्यक्ष

Sunender Kumar

*Signatures Attached  
from 1 to 3*

*W.M. 10-3-92*

L. S. RANA  
M.A., LL.B., ADVOCATE  
Chambers No. 488,  
Civil Side,  
Old Hazari Courts, Delhi,

This document is a copy of its  
Original/Copy filed with the  
Registrar without Certifying/  
verifying its contents. It is issued  
under RTI Act/Court Orders.

*M*  
Registrar of Societies